सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संः— 2023 / 68

दर्ज तिथिः— 06.12.2023

1. रावतराम पुत्र श्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अरविन्द पुत्र श्री केशराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री केशराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. कृष्ण कुमार पुत्र श्री श्रीचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. काशीराम पुत्र श्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. गुड्डी पुत्री श्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. गिरधारी पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. चतरी पुत्री श्री बीरूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. छोटी पुत्री श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. झुमा पुत्री श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. नमेन्द्र कुमार पुत्र गुड्डी पुत्री संतोष पुत्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. नानची पुत्री श्री बीरूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. परमेश्वर पुत्र श्रीमती संतोष पुत्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. भागीरथ पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. मैना पुत्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. महेन्द्र पुत्र श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. मोनिका पुत्री श्री केशराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. रेखाराम पुत्र श्री बीरूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. लीलावती पत्नी श्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. विमला पुत्री श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. विलू पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
23. श्यामलाल पुत्र श्रीमती संतोष पुत्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
24. सन्जु पुत्री श्रीचंद जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:04 IST
Reason: SelfAttested

25. सुनिता पुत्री श्रीमती गुड्डी पुत्री श्रीमती संतोष पुत्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
26. सुभाष पुत्र श्रीमती संतोष पुत्री सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
27. सुभाषचन्द्र पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
28. सुमन पुत्री केशराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
29. सुरेश पुत्र केशराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
30. सावित्री पुत्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
31. सिलोचना पुत्री श्रीचंद जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
32. हड़मानी पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
33. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिरसला जरिये शाखा प्रबंधक
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राजस्थान)
35. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, चूरू (राजस्थान)

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़
अप्रार्थीः– श्री गोपीराम सिहाग, श्री रामनिवास सहारण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किंये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अनुवान का दावा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।
2. प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या । ता 32 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि खाता संख्या वर्तमान 57 पुराना 57 जिसके खसरा नंबर 101 तादादी 1.5429 हैक्टेयर व खसरा नंबर 119 तादादी 4. 1228 हैक्टेयर व खसरा नंबर 127 तादादी 5.3115 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 99 तादादी 0.3288 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 11.3060 हैक्टेयर रोही मौजा मोतीसर पट्वार हल्का सिरसला भू.अभि.नि. सिरसला तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है।
3. ऊपर वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 7/180 हिस्सा [illegible] अप्रार्थी संख्या 1, 2, 17, 28 व 29 का प्रत्येक का 7/900 हिस्सा है व [illegible] का प्रत्येक का 7/540 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 4, 8, 9, 15, 16, 21 व 30 का प्रत्येक का 7/180 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 5, 13, 19, 20, 22, 23 व 25 का प्रत्येक का 7/720 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 6, 11, 14, 27 व 32 का प्रत्येक का 7/150 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 7 व 12 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 10 व 25 का 7/1440 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 18 का 7/30हिस्सा अवस्थित चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:04 IST
Reason: SelfAttested

रहा है। इसी अनुसार प्रार्थी 7/180 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 17, 28 व 29 का प्रत्येक का 7/900 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 3, 24 व 31 का प्रत्येक का 7/540 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 4, 8, 9, 15, 16, 21 व 30 का प्रत्येक का 7/180 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 5, 13, 19, 20, 22, 23 व 25 का प्रत्येक का 7/720 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 6, 11, 14, 27 व 32 का प्रत्येक का 7/150 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 7 व 12 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 10 व 25 का 7/1440 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 18 का 7/30 हिस्सा वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर मालिक काबिज, खातेदार संयुक्त रूप से चले आ रहे है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या । ता 32 बतौर मालिक काबिज, खातेदार संयुक्त रूप से चले आ रहे है व वादगत कृषि भूमि का बाह्मी तौर पर आपस में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 32 का भाई बंटवारा हो चुका है व बंटवारे के अनुसार प्रत्येक खातेदार काबिज काश्तकार अपने–अपने हिस्से में आई कृषि भूमि पर काबिज है, प्रार्थी का हिस्सा दावा के साथ संलग्न एनेक्सर–ए में लाल रंग से दर्शाया गया है, परन्तु विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जो कि संयुक्त मालिकाना हक की संपूर्ण खातेदारी के बतौर मालिक अविभाजित स्थिति में चली आ रही है, जो कि वर्तमान जमाबंदी से साबित है, जो जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या । ता 32 के मध्य वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि अविभाजित चली आ रही है, इस कारण हिस्सा–कसी को लेकर तथा सीमांकन को लेकर पक्षकारों में विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढ़ने का अंदेशा है, इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्से की कृषि भूमि कब्जा, काश्त की घोषणा करवाकर खाता विधिवत विभाजन करवाकर अलग से खाता कायम करवा लेंवे।
5. प्रार्थी सीधा साधा व्यक्ति है व अप्रार्थी । ता 32 सम्पन्न व शक्तिशाली व राजनैतिक पहुंच रखने वाले लोग है, जो कि प्रार्थी को हमेशा बेदखल करने की धमकी देते रहते है, इस स्थिति में जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या । ता 32 को रोका जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी के कब्जा, काश्त में किसी तरह की बाधा न डाले, ना ही विक्रय, रहन, वैय आदि करें, ना कोई कुआ, मकान बनाये, ना ही ऐसा कार्य उप कार्य करें, जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़े।
6. प्रार्थी सीधा साधा व्यक्त्ति है व अप्रार्थी संख्या 1 ता 32 सम्पन्न व शक्तिशाली व राजनैतिक पहुंच रखने वाले लोग है, जो कि प्रार्थी को हमेशा बेदखल करने की धमकी देते रहते है, प्रार्थी की कमजोर स्थिति को देखते हुए उसके हिस्से से अप्रार्थी संख्या 1 ता 32 बेदखल करना चाहते है। प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, तो प्रार्थी को कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का बनता है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीया की तरफ से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा के निर्णय तक यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 32 के को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थी को कृषि भूमि खाता संख्या वर्तमान 57 पुराना 57 जिसके खसरा नंबर 101 तादादी [illegible] हैक्टेयर व खसरा नंबर 119 तादादी 4.1228 हैक्टेयर व खसरा नंबर [illegible] हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 99 तादादी 0.3288 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 11.3060 है[illegible] मोतीसर पट्वार हल्का सिरसला भू.अभि.नि. सिरसला तहसील व जिला चूरू में उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें, ना ही उसके कब्जा, काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे, ना ही उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को रहन, विक्रय आदि करे, जिससे प्रार्थी के हक में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, ना ही ऐसा कोई कार्य या उप कार्य करें, जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़े एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:04 IST
Reason: SelfAttested

32 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। श्रीमान् जी कृपा होगी।

7. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2, 7, 9, 13, 16 ता 18, 21, 28, 30 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीराम सिहाग ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 6, 10 ता 11, 14 ता 15, 19 ता 20, 22 ता 27 31 ता 32 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास सहारण ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8, 12, 29, 33, 35 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 34 भूमिधारी होने के कारण केवल औपचारिक पक्षकार के रूप में अभिलेख पर लिया गया है। अप्रार्थीगण को बार—बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बन्द किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

8. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सह—खातेदार के रूप में दर्ज है। हालांकि भूमि का बाह्य विभाजन हो चुका है, लेकिन कानूनी रूप से खाता विभाजन न होने के कारण प्रार्थी के हितों पर खतरा बना हुआ है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहा है। यदि अप्रार्थीगण उसे बेदखल करते हैं या भूमि की प्रकृति बदलते हैं, तो प्रार्थी का कृषि कार्य बाधित होगा। यदि विवादित भूमि को किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया गया या उस पर निर्माण कर लिया गया, तो प्रार्थी का हिस्सा कम हो जाएगा जिसकी भरपाई भविष्य में धन से नहीं की जा सकेगी। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने जवाब पेश नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि उन्हें प्रार्थी के तथ्यों पर कोई ठोस आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण जवाब बंद हो चुका है।

9. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों (जमाबंदी व नक्शा) का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम विवादित खाता संख्या 57 में सह—खातेदार के रूप में अंकित है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित होता है। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए, किंतु उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों एवं तथ्यों का प्रभावी खंडन रिकॉर्ड पर नहीं आया है।

10. राजस्व विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में जब तक विधिवत विभाजन न हो जाए, तब तक किसी भी खातेदार को अन्य सह—खातेदार की सहमति के बिना भूमि की प्रकृति बदलने या उसे खुर्द—बुर्द करने का अधिकार नहीं है।

11. प्रार्थी के कब्जे एवं हिस्से की सुरक्षा हेतु सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि वर्तमान स्थिति नहीं बनाई रखी गई, तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

12. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय निम्न आदेश पारित करता हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। खसरा संख्या 101/1.5429 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119/4.1228 हैक्टेयर, खसरा संख्या 127/5.3115 हैक्टेयर व खसरा संख्या 99/0.3288 हैक्टेयर रोही

मोतीसर के संबंध में पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वाद के अंतिम निर्णय तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखें। कोई भी पक्षकार उक्त भूमि का विक्रय, रहन, हस्तांतरण या किसी तृतीय पक्ष को अधिकार प्रदान नहीं करेगा। यह आदेश अस्थाई प्रकृति का है तथा वाद के अंतिम निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:04 IST
Reason: SelfAttested